राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 558/2011/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम वृत–एन,
जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पवन एन्टरप्राइजेज,
1053–बरकत नगर, किशन मार्ग, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/08/2017

निर्णय

1. राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील उपायुक्त अपील्स, द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 24/अपील्स–II/जयपुर/एन/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. राजस्व की एक पक्षीय बहस सुनी गई उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया है कि व्यवसायी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 में अधिकतम शास्ति रुपये 500 ही आरोपित की जा सकती थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रुपये 2,500/– से 500/– तक यथावत रखने में कोई भूल नहीं की। अतः राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

3. यह टिप्पणी करना उचित होगा कि अपीलीय निर्णय की विधि एवं तथ्यों का परीक्षण किये बिना ही केवल मात्र रुपये 2000/– के लिये कर बोर्ड में अपील फाईल की गई है, जो आश्चर्य जनक है क्योंकि विभाग द्वारा रुपये 5,000/– तक के तथ्यात्मक ममाले में द्वितीय अपील नहीं करने के निर्दश दिये हुये है।

4. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

2/8/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य